92

सं0सं0–01/दि0स0नि0(यो0)–21/2025–

बिहार सरकार

समाज कल्याण विभाग

(दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय)

प्रेषक,

योगेश कुमार सागर भा0प्र0से0,
संयुक्त सचिव,
समाज कल्याण विभाग।

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0),
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक– 22.7.2025

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2025–26 में राज्य के पिछड़ा वर्ग (BC), आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) एवं सामान्य वर्ग के पुरूष दिव्यांग अभ्यर्थियों को बिहार लोक सेवा आयोग, पटना तथा संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली के द्वारा सिविल सेवा हेतु आयोजित प्रतियोगिता परीक्षाओं के प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर मुख्य परीक्षा एवं साक्षात्कार की तैयारी हेतु क्रमशः रू0 50,000/– (पचास हजार) एवं रू0 1,00,000/– (एक लाख) की प्रोत्साहन राशि प्रदान करने हेतु दिव्यांगजन सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना को प्रारंभ करने एवं इसके निमित रू0 200.00 लाख (दो करोड) व्यय की स्वीकृति के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय संकल्प सं0–5329 दिनांक–10.07.2025 के द्वारा पिछड़ा वर्ग (**BC**), आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (**EWS**) एवं सामान्य वर्ग के मेधावी दिव्यांग पुरूषों को सिविल सेवा हेतु प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से बिहार लोक सेवा आयोग, पटना तथा संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली के द्वारा सिविल सेवा हेतु आयोजित प्रतियोगिता परीक्षाओं के प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर मुख्य परीक्षा एवं साक्षात्कार की तैयारी हेतु क्रमशः रू0 50,000/– (पचास हजार) एवं रू0 1,00,000/– (एक लाख) की प्रोत्साहन राशि प्रदान करने एवं इसके निमित दिव्यांगजन सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना को प्रारंभ करने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2. उक्त के आलोक में मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण छत्र योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 में दिव्यांगजन सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के क्रियान्वयन एवं इस हेतु पिछड़ा वर्ग (BC), आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) एवं सामान्य वर्ग के अनुमानित 350 पुरूष दिव्यांग लाभुकों को आर्थिक सहायता राशि प्रदान किये जाने के निमित रू0 200 लाख (दो करोड) की स्वीकृति प्रदान की जाती है। वाद के वर्षों में राशि के व्यय किये जाने की कोई अधिसीमा नहीं होगी तथा इस हेतु पात्र लाभुकों के माँग के आलोक में राशि की निकासी एवं व्ययन किया जायेगा।

3. स्वीकृत राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2025–26 में मुख्य शीर्ष– 2235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, उप मुख्य शीर्ष–02 समाज कल्याण, लघु शीर्ष–101 विकलांग व्यक्तियों का कल्याण, उपशीर्ष– 0119 मुख्यमंत्री विकलांग सशक्तिकरण योजना 'सम्बल' **विपत्र कोड सं0–51–2235021010119** अन्तर्गत उपलब्ध बजटीय उपबंध से विकलनीय होगा।

4. वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए इस मद में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता होने पर अनुपूरक आगणन से अतिरिक्त राशि प्राप्त की जायेगी।

5. स्वीकृत राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, दिव्यांगजन सशक्तिरकण निदेशालय, बिहार, पटना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय, बिहार, पटना इसके नियंत्री पदाधिकारी होंगे।

6. दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय, बिहार, पटना द्वारा निर्गत आवंटनादेश के आधार पर ही राशि की निकासी एवं व्ययन किया जायेगा। इस योजना के क्रियान्वयन हेतु बिहार वित्तीय नियमों का पालन करने की जिम्मेवारी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

7. स्वीकृत राशि की निकासी एवं व्ययन वित्त विभाग के पत्रांक– 2561 दिनांक–17.04.1998, पत्रांक–12888/वि. दिनांक–03.12.2024 एवं अन्य अनुदेशों/परिपत्रों के अनुसार किया जायेगा।

8. उक्त प्रस्ताव दिनांक:08.07.2025 को मंत्रिपरिषद की बैठक में मद संख्या–40 के रूप में स्वीकृत है।

9. स्वीकृत्यादेश पर संचिका सं0–**01/दि0स0नि0(यो0)–21/2025**– के टिप्पणी **पृ0–21/टि0 पर दिनांक– 11.07.2025** को आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

10. यह स्वीकृत्यादेश संचिका सं0–**01/दि0स0नि0(यो0)–21/2025**– के टिप्पणी **पृ0–22/टि0 पर दिनांक– 15.07.2025** को सचिव, समाज कल्याण विभाग के अनुमोदनोपरांत निर्गत की जा रही है।

11. वित्त विभाग के पत्रांक–7355/वि. दिनांक– 05.10.2007 के आलोक में राशि की निकासी हेतु महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

विश्वासभाजन

21/7/25

(योगेश कुमार सागर)
संयुक्त सचिव,
समाज कल्याण विभाग।

ज्ञापांक– **01/दि0स0नि0(यो0)–21/2025**– 92 पटना, दिनांक– 22.7.2025

प्रतिलिपि :– महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार/ प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग/ संयुक्त सचिव (बजट शाखा), वित्त विभाग/संयुक्त सचिव (योजना एवं बजट शाखा), समाज कल्याण विभाग/निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय/ सचिव, समाज कल्याण विभाग के आप्त सचिव, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

21/7/25

संयुक्त सचिव,
समाज कल्याण विभाग।

ज्ञापांक– **01/दि0स0नि0(यो0)–21/2025**–92 पटना, दिनांक– 22.7.2025

प्रतिलिपि :– आई0टी0मैनेजर, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

21/7/25

संयुक्त सचिव,
समाज कल्याण विभाग।

Vikash